न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला झांसी।

मुकदमा संख्या- 08/ 2021

सरकार **बनाम** **मूलचन्द्र।**

धारा- 354, 323, 504, 506 भा०दं०सं०

थाना- टहरौली, जिला- झांसी।

मु. अ. सं. - 130/ 2019

मै, **सुनील शेखर,** न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला झांसी आप अभियुक्त **मूलचन्द्र** को निम्न आरोपों में आरोपित करता हूंः-

1- यह कि दिनांक 07. 10. 2019 को समय 19. 00 बजे शाम व स्थान माता मंदिर का रास्ता बेरबई, वहद ग्राम बेरबई थाना टहरौली जिला झांसी में आपने वादिनी मुकदमा की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर अश्लील बातें की। इस प्रकार आपने भा. द. सं. की धारा- **354** के तहत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ मारपीट कारित कर साधारण चोटे पहुंचाकर स्वेच्छया उपहति कारित की गयी। आपका यह कृत्य धारा- **323** भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को बुरी बुरी गालियां देकर साशय अपमानित किया। आपका यह कृत्य धारा- **504** भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देने का अपराध कारित किया। आपका यह कृत्य धारा- **506** भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएव मैं एतदद्वारा आपको निर्देश देता हूं कि उपरोक्त आरोप के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांक- 18. 04. 2022

(सुनील शेखर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी।

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया व विचारण की याचना की।

दिनांक- 18. 04. 2022

(सुनील शेखर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी।